न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

अमरचन्द बनाम बीरबल

10/8/2023 T.I

17/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 24/3/3 को पेश हो। ताकि बहीद पेश।

24/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 13/6/3 को पेश हो।

13/6 पत्रावली पेश। अपि. प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी 6-1 तक को तामिल हो चुकी है, बाकी तामिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी 6-1 तक के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही क्रमशः में लाई जाती है। कहम अपि एकपक्षीय सुनी गई। कहम पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद दरखास्त आई है तथा ईश्तगासे वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हक प्रभावित हो सकते है। अतः प्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 2902/516 रकबा 0.58 हैक्टेयर कि राम कुंवारा तह 6 जिला सीकर की भूमि पर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर किया गया, ताकि दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी